

न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी-देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

प्रा०पत्र सं० 12/2024 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी महवा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्री शमशुदीन खां पुत्र बोदन खां निवासी ग्राम रोटहडिया तहसील महवा जिला दौसा मालिक
अजमेर होटल एवं रेस्टोरेन्ट, रोटहडिया जयपुर आगरा रोड, महवा जिला दौसा

..अप्रार्थी

उपस्थित: 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

जब्तशुदा 03 घरेलू एल०पी०जी० गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. 2.0 किलोग्राम को आवश्यक वस्तु
अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने बाबत।

निर्णय

दिनांक: 01.04.2025


- सक्षिप्त विवरण प्रा० पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी महवा मय प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा दिनांक 25.9.2024 को अजमेर होटल एवं रेस्टोरेन्ट रोटहडिया जयपुर आगरा रोड महवा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान घरेलू एल०पी०जी० गैस के दुरुपयोग करने पर मौके पर पाये गये कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2.0 किलोग्राम एल०पी०जी० को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- प्रा० पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
- विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य विभाग के पत्र दिनांक 10.9.2024, 19.9.2024, 7.10.2024 द्वारा दिनांक 17.9.2024 से दिनांक 27.9.2024 तक की निरन्तरता में संपूर्ण जिले में घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरुपयोग/अवैध गैस रिफिलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 25.9.2024 को अजमेर होटल एवं रेस्टोरेन्ट रोटहडिया महवा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा जांच करने पर पाया कि अजमेर होटल एवं रेस्टोरेन्ट के रसोई घर में जांच करने पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग करना पाया गया। वक्त निरीक्षण श्री शमशुदीन खां पुत्र पुत्र बोदन खां ने अजमेर होटल एवं रेस्टोरेन्ट का मालिक होना बताया। मौके पर स्टाफ व गवाहों के समक्ष जांच करने पर 03 सिलेण्डर घरेलू गैस के पाये गये। उक्त में से एक घरेलू गैस सिलेण्डर रसोईघर में रखा पाया गया तथा दो घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से गैस पाईप लाईन के जरिये से जुड़े हुए पाये गये। श्री शमशुदीन खां से 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में मांगने पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार अजमेर होटल एवं रेस्टोरेन्ट के मालिक शमशुदीन खां पुत्र बोदन खां द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का अवैध व्यावसायिक कार्यों में उपयोग कर दुरुपयोग किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया। मौके पर हडिया इण्डेन ग्रामीण वितरण गैस ऐजेन्सी हडिया तहसील महवा के प्रोपराईटर श्री तारासिंह पुत्र मंगतीराम निवासी ग्राम सिन्दूकी सालिमपुर महवा को बुलाकर हैंगिंग मशीन से तोलने की कार्यवाही की गई। मौके पर प्राप्त सिलेण्डरों व अन्य जब्त सामग्री का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सिलेण्डर श्रेणी	नाम गैस कंपनी	सीरियल नंबर	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम)	अवैध गैस का वजन (किलोग्राम)
1	घरेलू	इण्डेन	062109 पी	18.2	16.2	
2	घरेलू	इण्डेन	894858 पी	15.8	15.8	0.0
3	घरेलू	इण्डेन	856017 टी	15.7	15.7	0.0
		कुल गैस				2.0

70

इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्त 03 घरेलू सिलेण्डरों एवं उनमें भंडारित 2.0 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस, को जब्त कर कब्जे राज लिया गया। उक्त जब्त गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. गैस को सुरक्षा की दृष्टि से हडिया इण्डेन ग्रामीण वितरण गैस ऐजेन्सी हडिया तहसील महवा के प्रोपराईटर श्री तारासिंह पुत्र मंगतीराम निवासी ग्राम सिन्दूकी सालिमपुर महवा को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार अजमेर होटल एवं रेस्टोरेन्ट के मालिक शमशुदीन पुत्र बोदन खां निवासी रोटहडिया महवा द्वारा उक्तानुसार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण) आदेश 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 2.0 किलोग्राम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।


4. अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि जब्तशुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 5.6. किलोग्राम को राज साज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।
5. हमने विभागीय पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरुपयोग/अवैध गैस रिफिलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 25.9.2024 को अजमेर होटल एवं रेस्टोरेन्ट रोटहडिया आगरा जयपुर हाईवे का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग करना पाया गया। वक्त निरीक्षण में अजमेर होटल एवं रेस्टोरेन्ट के शमशुदीन पुत्र बोदन खां निवासी रोटहडिया महवा ने स्वयं को अजमेर होटल व रेस्टोरेन्ट का मालिक होना बताया। मौके पर स्टाफ व गवाहों के समक्ष जांच करने पर 03 सिलेण्डर घरेलू गैस के पाये गये। प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा जांच करने पर पाया कि अजमेर होटल व रेस्टोरेन्ट, रोटहडिया महवा में घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग करना पाया गया। मौके पर स्टाफ व गवाहों के समक्ष जांच करने पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 2.0 किलोग्राम एल0पी0जी0 का दुरुपयोग करना पाया गया। इस प्रकार श्री अफसर बशीर द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी श्री शमशुदीन खां ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। हाल ही में भांकरोटा की गैस त्रासदी जैसी दुखद घटना भी हुई है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order- 2000** के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते हैं।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 2.0 किलोग्राम को राजसात (**Confiscate**) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।


(देवेंद्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 01 अप्रैल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।




(देवेंद्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा